

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
।। कार्यालय आदेश ।।

सं0सं0-05/स्था0 (कार्यालय परिचारी)-01-03/2026,परि0 884 पटना,दिनांक- 03/02/2026


सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-19300, दिनांक-13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2023 के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के निम्न कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv) को उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित पदों एवं वेतन स्तर (कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii) एवं लेवल-2) में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार कार्यालय आदेश निर्गमन की तिथि से प्रदान किया जाता है:-

क्र0	कर्मि का नाम /पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	उच्चतर पद एवं वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1	मो0 एजाजुल हक, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	मुजफ्फरपुर	जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2
2	श्रीमती रामसुमारी देवी, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	मुजफ्फरपुर	परिवहन विभाग (मुख्यालय), पटना	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2
3	श्री अरूण पासवान, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	पटना	परिवहन विभाग (मुख्यालय), पटना	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2
4	श्रीमती तुलिया देवी, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	पटना	परिवहन विभाग (मुख्यालय), पटना	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2
5	श्री इन्द्रदेव प्रसाद, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	नालन्दा	जिला परिवहन कार्यालय, नालन्दा	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2

- उपरोक्त कर्मि को कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ कॉलम-5 में अंकित उच्चतर पद के कार्यकारी प्रभार वर्तमान पदस्थापन जिले/मुख्यालय में ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा।
- कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर औपबधिक रूप से प्रदान की जा रही है।
- अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाली किसी प्रकार के त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राशि की भी वसूली कर ली जायेगी।

5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।


6. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(कृत्यानन्द रजन)
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था० (कार्यालय परिचारी)-01-03/2026,परि० 884 पटना,दिनांक- 03/02/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), पटना/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अवर सचिव, वित्त विभाग/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/संबंधित सभी कर्मी परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था० (कार्यालय परिचारी)-01-03/2026,परि० 884 पटना,दिनांक-03/02/2026

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
।। कार्यालय आदेश ।।

सं0सं0-05/स्था0 (कार्यालय परिचारी)-01-03/2026,परि0 पटना,दिनांक-

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-19300, दिनांक-13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के निम्न कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv) को उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित पदों एवं वेतन स्तर (कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii) एवं लेवल-2) में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार कार्यालय आदेश निर्गमन की तिथि से प्रदान किया जाता है:-

क्र0	कर्मि का नाम /पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	उच्चतर पद एवं वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1	मो0 एजाजुल हक, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	मुजफ्फरपुर	जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2
2	श्रीमती रामसुमारी देवी, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	मुजफ्फरपुर	परिवहन विभाग (मुख्यालय), पटना	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2
3	श्री अरुण पासवान, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	पटना	परिवहन विभाग (मुख्यालय), पटना	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2
4	श्रीमती तुलिया देवी, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	पटना	परिवहन विभाग (मुख्यालय), पटना	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2
5	श्री इन्द्रदेव प्रसाद, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iv)	नालन्दा	जिला परिवहन कार्यालय, नालन्दा	कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-iii), लेवल-2

2. उपरोक्त कर्मि को कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ कॉलम-5 में अंकित उच्चतर पद के कार्यकारी प्रभार वर्तमान पदस्थापन जिले/मुख्यालय में ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा।
3. कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर औपबंधिक रूप से प्रदान की जा रही है।
4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाली किसी प्रकार के त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राशि की भी वसूली कर ली जायेगी।

5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

6. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(कृत्यानन्द रंजन)
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था० (कार्यालय परिचारी)-01-03/2026, परि० पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), पटना/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अवर सचिव, वित्त विभाग/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/संबंधित सभी कर्मी परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था० (कार्यालय परिचारी)-01-03/2026, परि० 884 पटना, दिनांक- 03/02/2026

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3.2.26
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।